जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 29.10.2024

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व चोरी के 02 अदद गैस सिलेण्डर के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थाना प्रभारी बेलहरकला ***श्री जीतेन्द्र कुमार यादव*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा अभियुक्तगण 1. विकास कुमार गौंड पुत्र हरीलाल निवासी बनेथू थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 2. मो0 राशिद अली पुत्र अब्बास अली निवासी मोतीपुर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर 3. मो0 ताहिर पुत्र हजरत अली निवासी करनजोत थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0 246/2024 धारा 305(e), 331(4), 112, 317(2), 317(4) बीएनएस, मु0अ0सं0 248/2024 धारा 305(e), 331(4), 112, 317(2), 317(4) बीएनएस व मु0अ0स0 236/2024 धारा 305(e), 331(4), 112, 317(2), 317(4) बीएनएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनर को दिनांक 28.10.2024 को मुखबीर की सूचना पर ग्राम बनौली के उत्तर आम के पास से घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल व चोरी के 02 अदद गैस सिलेण्डर के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 14.10.2024 को वादी श्री रामसुरेश चौधरी प्र0अ0 उच्च प्राथमिक विद्यालय बूढ़ी बेलहर कम्पोजिट द्वारा थाना बेलहरकला पर बावत अज्ञात चोर के विरुद्ध दिनांक 7/8.10.2024 की रात को विद्यालय का ताला तोड़कर 07 बोरी गेहूँ चावल, इन्वर्टर व बैट्री चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 236/2024 धारा 305(e), 331(4) बीएनएस पंजीकृत कराया था तथा दिनांक 28.10.2024 को वादी श्री विनय कुमार पुत्र रामबहादुर ग्राम डीघा पोस्ट डीघा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर हा0मु0 सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय बनखोरिया द्वारा थाना बेलहरकला पर बावत अज्ञात चोर के विरुद्ध दिनांक 20/21.10.2024 की रात्रि में विद्यालय के किचन का ताला तोड़कर गैस सिलेण्डर (इण्डेन) चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 246/2024 धारा 305(e), 331(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था तथा दिनांक 28.10.2024 को वादी श्री मो0 इस्माईल पुत्र मो0 जफर निवासी सांथा थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर बावत अज्ञात चोर के विरुद्ध दिनांक 20/21.10.2024 की रात्रि में विद्यालय के किचन का ताला तोड़कर गैस सिलेण्डर (एचपी) चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 248/2024 धारा 305(e), 331(4) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए उक्त अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में लाया गया तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में सुसंगत धाराओं की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों विवरण–

1. विकास कुमार गौंड पुत्र हरीलाल निवासी बनेथू थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
2. मो0 राशिद अली पुत्र अब्बास अली निवासी मोतीपुर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।
3. मो0 ताहिर पुत्र हजरत अली निवासी करनजोत थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण –

घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल, चोरी के 02 अदद गैस सिलेण्डर।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम लोगों की एक गैंग है। हमारे गैंग के मुखिया मो0 राशिद अली हैं। हम लोग अपने आर्थिक भौतिक लाभ हेतु विभिन्न विद्यालयों मे चोरी करते हैं। तथा चोरी का सामान मो0 राशिद अली के सहयोग से ही बेचा जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त राशिद का आपराधिक इतिहास–

01- मु0अ0सं0 178/2018 धारा 504,506 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

02- मु0अ0सं0 25/2019 धारा 504,506 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

03- मु0अ0सं0 67/2020 धारा 147,148,323,427,525,504 भा0द0वि0 व महामारी अधि0 1897 धारा 03, आपदा प्रबंधन अधि0 2005 धारा 51बी थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

04- मु0अ0सं0 112/2020 धारा 323,504,506 भा0द0वि0, एससी/एसटी एक्ट 3(1)(घ)/3(1)(द) थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

05- मु0अ0सं0 226/2020 धारा 188,269 भा0द0वि0, आपदा प्रबंधन अधि0 2005 धारा 51 व महामारी अधि0 1897 धारा 3 थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

06- मु0अ0सं0 248/2022 उ0प्र0 गुंडागर्दी नियंत्रण अधि0 1970 धारा 10 थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त विकास का आपराधिक इतिहास–

01- मु0अ0सं0 149/2020 धारा 401 भा0द0वि0 थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

02- मु0अ0सं0 150/2020 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

03- मु0अ0सं0 06/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

04- मु0अ0सं0 223/2022 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

05- मु0अ0सं0 125/2023 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार अभियुक्त मो0 ताहिर का आपराधिक इतिहास–

01- मु0अ0सं0 90/2018 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

02- मु0अ0सं0 05/2019 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

03- मु0अ0सं0 165/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

04- मु0अ0सं0 20/2023 धारा 411,379 भा0द0वि0 थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

05- मु0अ0सं0 112/2023 धारा 380,411,457 भा0द0वि0 थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण–

उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रसाद, हे0का0 उदयभान यादव, हे0का0 शम्स तबरेज अली, हे0का0 दिलीप कुमार, का0 रवीन्द्र कुमार निषाद, का0 राहुल कुमार।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3310 द्वारा सड़क मार्ग में पैर पर ट्रैक्टर चढ़ जाने से घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल–
पीआरवी 3310 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत दुहियाकला से इवेंट सं0 42109 कालर ने से सड़क मार्ग में टैक्टर पैर पर चढ़ जाने के कारण दुर्घटना में 01 व्यक्ति (1- राजकुमार पुत्र बुद्धिराम निवासी दुहिया कला, थाना धनघटा, संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु निजी वाहन की सहायता से सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
***पीआरवी स्टाफ-* आ0 विमल सिंह, हो0चा0 हर्षनाथ राय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 112 वाहनों से 1,36,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 112 वाहनों से 1,36,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें मे 02 अभियुक्ता को 01 माह 27 दिवस के कारावास व 1000रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 29.10.2024 को ***मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम संतकबीरनगर*** द्वारा ***थाना धनघटा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 495/2012 धारा 304 भादवि के मामलें में अभियुक्ता 01- शीला देवी पत्नी कांग्रेस 02- कु0 अंजू पुत्री कांग्रेस निवासीगण धोरांग थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 323 भादवि के आरोप में प्रत्येक को जेल में बितायी गयी अवधि 01 माह 27 दिवस के कारावास एवं 500-500 सौ रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा न करने पर अभि0गण प्रत्येक को 01 सप्ताह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भोगना पड़ेगा। अभि0गण द्वारा जेल में बितायी गयी कोई अवधि उनकी सजा में समायोजित की जायेगी। अभि0गण को जेल में बितायी गयी अवधि के करावास से दण्डित किया गया।

अत: उनके द्वारा जुर्माना जमा करने पर सजायावी वारण्ट बनाये जाने की आवश्यकता नही है। जुर्माना न जमा करने पर एवज में अधिरोपित सजा का दण्ड भुगतने हेतु सजावी वारण्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु अविलम्ब जिला कारागार संतकबीरनगर को प्रेषित किया जाए।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामलें में अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 28.10.2024 को ***न्यायालय – ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना दुधारा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 051/2014 धारा 363, 366, भादवि के मामलें में अभियुक्त नाम पता अशोक कुमार पुत्र कन्हैया लाल निवासी लड़नपुर मजरा आशोपुर थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकर नगर को अन्तर्गत धारा 363, 366 भादवि के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त अशोक कुमार न्यायिक अभिरक्षा में आत्मसर्मपण किया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाय। अभि0 अशोक कुमार को धारा 363 भादवि के तहत 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000रु0 अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का साधारण कारावास व धारा 366 भादवि मे 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000रु0 अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया जाता है। अर्थदण्ड कि राशि जमा होने पर धारा 357 सीआरपीसी के अन्तर्गत सम्पुर्ण राशि 10,000रु0 पीड़िता को अपील अवधि पश्चात बतौर क्षतिपूर्ति प्रदान कि जायेगी। दोषसिद्ध अभियुक्त अशोक कुमार का सजायावी वारण्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार संतकबीरनगर भेजा जाये। धारा 31 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी तथा धारा 428 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा मे व्यतीत की गयी अवधि को पूर्व मामले के कारावस कि अवधि में समायोजित किया जायेगा।